संख्याः 161 /XVIII (1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एन0आई0सी0, उत्तरांचल,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून दिनांक 3 मार्च, 2005

विषयः **भूलेख साफ्टवेयर में कतिपय संशोधन करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, हरिद्वार के संलग्न पत्र का अवलोकन करें जो दिनांक 4.2.2005 को भूलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु जनपद हरिद्वार की समीक्षा में उठाये गए बिन्दुओं से संबंधित है जिसमें साफ्टवेयर में कतिपय संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुए हैं कि जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप भूलेखों के कम्प्यूटरीकरण के साफ्टवेयर में सम्मिलित करते हुए अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

9 2 3 / प्र.भू.सु./2005 पंजीकृत / फैक्स

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव(राजस्व)
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

संख्या 2208 /सात–भूलेख दिनांक फरवरी 2005

विषय भू–लेख साफटवेयर में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया जनपद हरिद्वार में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 4.2.2005 को सम्पन्न हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तहसील हरिद्वार एवं लक्सर के भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान वर्तमान भूलेख साफ्टवेयर में निम्नलिखित कमियां प्रकाश मे आयी है :–

1– साफ्टवेयर में खसरा संख्याओं का क्षेत्रफल दशमलव के बाद 03 अंकों तक ही अंकित होता है जबकि चकबन्दी से बाहर आये ग्रामों मे क्षेत्रफल दशमलव के बाद 04 अंकों में दिया गया है । चार अंको को कम्प्यूटर में फीड किये जाने पर कम्पयूटर द्वारा उन्हें 3 अंकों मे पूर्ण कर दिया जाता है।

2– बड़े गाटा संख्याओं यथा 62/16/2/3म की प्रविष्टि ठीक इसी रूप में नहीं हो पाती है । गाटा संख्या के क्षेत्र को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

3– एक ही मिनजुमला खसरा संख्या यथा 26मि. खाता संख्या 5, 10, 12 व 14 में होने पर उसकी प्रविष्टि केवल एक ही खाता संख्या 5 पर होगी। शेष खातों पर खसरा संख्या 26 मि. अंकित करने पर कम्प्यूटर द्वारा उक्त खसरा संख्या पूर्व में ही अंकित किया जाना दर्शाते हुये अन्य खातों में अंकित नहीं किया जाता है। इसे अंकित करने के लिये प्रथम खाते के बाद अन्य खातों में उक्त 26मि. को अंकित करने के लिये 26मि. के साथ कोई डाट , डैश, अथवा अन्य परिवर्तन करने होते हैं।

4– यदि किसी ग्राम का नाम बड़ा हो यथा बलेलपुर मजरा पनियाला तो वह नाम कम्प्यूटर द्वारा पूरा अंकित नही किया जाता है। इसके लिये उक्त नाम को संक्षिप्त कर बलेलपुर म0पनियाला आदि अंकित करना पड़ता है ,जो कि उचित नही है।

5– टिप्पणी का कालम अत्यन्त छोटा होने के कारण उसमें बंधक नामें का आदेश अंकित नही किया जा सकता है। वर्तमान में बंधकनामें के आदेशों को भी नामान्तरण सम्बन्धी आदेशों के स्तम्भ में ही अंकित कराया जा रहा है।

6– खातेदार के नाम के स्तम्भ में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण यथा उदाहरण –श्री शम्भू पंचदशनाम आवाहन आखड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी द्वारा महन्त बद्रीपुरी जनरल सेक्रेटी महन्त बुद्धगिरी धानापति महन्त रामगिरी जी, महन्त बालाराम भारती, महन्त मदन गिरी शिष्य गणेश भगवान निवासी दशाश्वमेध घाट वाराणसी – उन्हें अंकित करने मे कठिनाई आती है।

7– उद्धरण निर्गत किये जाने का कोई लॉग वर्तमान साफ्टवेयर में नही है। साफ्टवेयर में इसकी व्यवस्था भी वांछित है ताकि उद्धरण निर्गत किये जाने के कार्य पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।

8– उत्तरांचल (उ0प्र0ज0वि0और भूमि व्यवस्था नियमावली 1952)(प्रथम संशोधन) नियमावली , 2004 के नियम 2(1) के अन्तर्गत 116–क विशेष श्रेणी के भूमिधर के लिये खतौनी में श्रेणी 1–ग के

अन्तर्गत अंकित किये जाने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान भूलेख साफ्टवेयर में उक्त श्रेणी उपलब्ध नहीं है। उक्त श्रेणी को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

9– वर्तमान साफ्टवेयर के सिस्टम प्रबन्धन में 'भूमि प्रकार' के शीर्षक को 'भूमि की श्रेणी' में परिवर्तित किया जाना उचित होगा।

10– यदि एक ही आदेश को एक खाते से कापी करके अन्य खाते पर पेस्ट किया जाता है तब कापी किये गये आदेश के कुछ अंशों को पेस्ट करने में कम्प्यूटर द्वारा छोड़ दिया जाता है ।

11– अंकित किये गये आदेशों को विन्डोज की तरह इस प्रोग्राम में जस्टीफाई किये जाने का आप्शन नहीं है जिससे अंकित किये गये आदेश व्यवस्थित नहीं रहते हैं।

वर्तमान में तहसील लक्सर के भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर कराया जा रहा है । तहसील लक्सर के जिन ग्रामों की खतौनियों को कम्प्यूटर मे फीड कराया जा रहा है उनमें से अधिकांश ग्रामों की खतौनियों में खसरा संख्याओं का क्षेत्रफल दशमलव के बाद 4 अंकों में अंकित है । **वर्तमान साफ्टवेयर में दशम्लन के बाद केवल 3 अंकों तक ही क्षेत्रफल अंकित होता है तदनुसार इस कमी के तत्काल निराकरण की आवश्यकता है ताकि फीड किये गये ग्रामो की खतौनियों को त्रुटिरहित किया जा सके।**

अतः अनुरोध है कि वर्तमान भूलेख साफ्टवेयर में खसरा संख्याओं के क्षेत्रफल दशमलव के बाद 3 अंकों के स्थान पर 4 अंकों तक अंकित होने के सम्बन्ध में वांछित संशोधन यथाशीघ्र कराने की कृपा करें।

भवदीय,

24/2/06.

(आर0के0सुधांशु)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।